in Gujarat, Maharashtra, Goa and Lakshadweep.

(d) Question does not arise.

भ्रष्टाचार का उन्मूलन

2527. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (श्री आर० जनार्दन): (क) से (ग) सरकार स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने और सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया अभियान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस संबंध में, बनाई गई नीतियों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि इन्हें बदलते परिवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावोत्पादक, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया जा सके। सचिव और विभागाध्यक्ष अपने-अपने मंत्रालय/विभाग में भ्रष्टाचार की रोकथाम (करने) के लिए जिम्मेवार होते हैं। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के अलावा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और मंत्रालयों/विभागों में आंतरिक सतर्कता-तंत्र ऐसे अभिकरण (एजेंसियां) है जो इस कार्य में संलग्न है।

कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का प्रशासनिक सतर्कता-प्रभाग, जहां कहीं अपेक्षित हो, आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता देने के अलावा मंत्रालयों/विभागों द्वारा सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोधी क्षेत्र में किए गए उपायों संबंधी प्रयासों को समन्वित करता है। कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य-योजनाएं तैयार की जाती है, जो निवारण, निगरानी और सुगरगसानी तथा दंडात्मक निवारक कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की रोकथाम में सहायता करती है। ये योजनाएं संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह कार्य आरम्भिक तौर पर, वर्ष 1985-86 में शुरू किया गया था और इसे वार्षिक आधार पर जारी रखा जा रहा है।

सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की दृष्टि से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मूलतः 1947 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण-अधिनियम, 1988 को पुनः अधिनियमित करके पहले की अपेक्षा और ज्यादा सशक्त बना दिया गया है, फलतः यह अब अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हो गया है। वर्ष, 1988 के नये अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:—

(क) "लोक सेवक" शब्द की परिभाषा के दायरे को विस्तृत करके इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार अथवा बैंकिंग आदि से संबंद्ध पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारियों का शामिल किया जाना;

(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण हेतु विशेष-न्यायालय स्थापित किए जाने संबंधी उपबंध का अन्तःस्थापित किया जाना।

(ग) भारतीय दंड संहिता की धारा 161 से 165क के तहत अपराधों का अन्तःस्थापित किया जाना; और

(घ) "आय के ज्ञात स्रोत" जिसका अभिप्राय आय के केवल विधिसम्मत स्रोत से है शब्द की परिभाषा का अन्तःस्थापित किया जाना।

इसके अतिरिक्त लोक-सेवकों की सेवा-शर्तों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न आचरण-नियमों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित, निवारक उपाय, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक का भी कार्य करते हैं। उच्च लोक-कृत्यकालरियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच-पड़ताल करने के लिए लोकपाल संस्था का स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है।

News-Item Captioned "Enhanced Dues a Mirage for Pensioners"

2528. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Hindustan times, dated 21st April, 1998 captioned "Enhanced dues a mirage for pensioners";

(b) if so, the details thereof; and

(c) what concrete steps Government have taken, so far, to ensure that no Central Government pensioner is